[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0126 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/06/2024 18:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भा दं सं 1860	384
4	भा दं सं 1860	385

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/06/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:48 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/06/2024 **Time (समय):** 17:25 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/06/2024 18:26:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 2 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLI

      (b)**Address(पता):** TEHSIL OFFICE JALORE

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** GENARAM MEGHWAL
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHIMARAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1965 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAJENDRA NAGAR JALORE, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RAJENDRA NAGAR JALORE, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH SUNDESHA		पिता:NATHURAM MALI	1. RAJENDRA NAGAR JALORE,JALORE,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

[redacted]

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक, महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी जालौर । विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् । महोदयजी, उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है । कि मुझ प्रार्थी गेनाराम मेघवाल पुत्र श्री खीमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 59 साल, निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी, जालौर, हाल कार्यवाहक तहसीलदार जालौर, जिला जालौर कि मैं अगस्त 2022 से नायब तहसीलदार जालौर के पद पर कार्यरत हूँ। एक नीजि पत्रकार श्री मुकेश कुमार सुंदेशा मारवाड़ पत्रिका के नाम से सोशल मिडीया पर कार्य करता है तथा इसी पत्रकार नाम का फायदा उठाकर दलाली भी करता है व अखबार में लिखने की नाम पर अवैध वसूली भी करता है। यह काफी समय से मुझसे मेरे सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोगों को डराकर पैसे एंठना चाहता है तथा कहता है कि आपस में बांट लेंगे और आपको एसीबी का भी खतरा नहीं होगा। मैं हमेशा इसको मना करता रहा हूँ, परन्तु यह लगातार मेरा दलाल बनने का प्रयास कर रहा है तथा लोगों को कहता है कि साहब से कोई काम हो तो मुझसे सम्पर्क करना। दिनांक 11.06.24 को तकरीबन 11.00 बजे मेरे तहसील कार्यालय में आया व मुझे समझाने लगा कि ईमानदारी से काम नहीं चलता है आज पद पर हो, कल कोई नहीं पुछेगा। मैं आपके महिने 8-10 लाख की बंधी सैट करवा सकता हूँ, अगर आप मेरे कहे अनुसार काम करे। मुझे इसमें से 25 प्रतिशत या जो आपका मन हो दे देना। तब मैंने इसे समझाया कि भाई मुझसे गलत काम क्यों करवाना चाहते हो मेरा रिटायर्डमेंट बहुत नजदीक है, मैं कहीं उलझ न जाऊ, तब उसने कहा सब काम मैं कर लूंगा आपको आपका हिस्सा पहुंच जायेगा। अभी मुझे मेरे घर पर कोई आवश्यक कार्य है, एक लाख रूपये दे दो, वो अपने हिसाब में से सैट कर लेंगे व मैं आपके विरूद्ध मिडीया में नहीं लिखूंगा, मैं आपको नरेगा, बजरी वाले, ईंट भट्टे इत्यादी से 8-10 दिन में ही बंधी दिलवा दूंगा। यह एक लाख रूपये अभी हो तो अभी दे दो, नहीं तो कल देवेन्द्र उर्फ टोनी ज्यूस वाले को दे देना। यह कहकर वह चला गया। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, गैर कानूनी कार्य नहीं करता हूँ। मेरी श्री मुकेश सुन्देशा से कोई नीजी रंजिश या पुराना लेनदेन शेष नहीं है। रिपोर्ट करता हूँ, कानूनी कार्यवाही करता हूँ। दिनांक- 17.07.2023 एसडी/- (गेनाराम मेघवाल) हाल तहसीलदार, जालौर मो. कार्यवाही पुलिस दिनाँक 20.06.2024 समय 09.00 ए.एम. इस समय परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल पुत्र श्री खीमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 59 साल, निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी, जालौर, हाल कार्यवाहक तहसीलदार जालौर, जिला जालौर, मो.नं. ने एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जालोर के समक्ष इस आश्य की प्रस्तुत की कि मैं अगस्त 2022 से नायब तहसीलदार जालौर के पद पर कार्यरत हूँ। एक नीजि पत्रकार श्री मुकेश कुमार सुंदेशा मारवाड़ पत्रिका के नाम से सोशल मिडीया पर कार्य करता है तथा इसी पत्रकार नाम का फायदा उठाकर दलाली भी करता है व अखबार में लिखने की नाम पर अवैध वसूली भी करता है। यह काफी समय से मुझसे मेरे सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोगों को डराकर पैसे एंठना चाहता है तथा कहता है कि आपस में बांट लेंगे और आपको एसीबी का भी खतरा नहीं होगा। मैं हमेशा इसको मना करता रहा हूँ, परन्तु यह लगातार मेरा दलाल बनने का प्रयास कर रहा है तथा लोगों को कहता है कि साहब से कोई काम हो तो मुझसे सम्पर्क करना। दिनांक 11.06.24 को तकरीबन 11.00 बजे मेरे तहसील कार्यालय में आया व मुझे समझाने लगा कि ईमानदारी से काम नहीं चलता है आज पद पर हो, कल कोई नहीं पुछेगा। मैं आपके महिने 8-10 लाख की बंधी सैट करवा सकता हूँ, अगर आप मेरे कहे अनुसार काम करे। मुझे इसमें से 25 प्रतिशत या जो आपका मन हो दे देना। तब मैंने इसे समझाया कि भाई मुझसे गलत काम क्यों करवाना चाहते हो मेरा रिटायर्डमेंट बहुत नजदीक है, मैं कहीं उलझ न जाऊ, तब उसने कहा सब काम मैं कर लूंगा आपको आपका हिस्सा पहुंच जायेगा। अभी मुझे मेरे घर पर कोई आवश्यक कार्य है, एक लाख रूपये दे दो, वो अपने हिसाब में से सैट कर लेंगे व मैं आपके विरूद्ध मिडीया में नहीं लिखूंगा, मैं आपको नरेगा, बजरी वाले, ईंट भट्टे इत्यादी से 8-10 दिन में ही बंधी दिलवा दूंगा। यह एक लाख रूपये अभी हो तो अभी दे दो, नहीं तो कल देवेन्द्र उर्फ टोनी ज्यूस वाले को दे देना। यह कहकर वह चला गया। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, गैर कानूनी कार्य नहीं करता हूँ। मेरी श्री मुकेश सुन्देशा से कोई नीजी रंजिश या पुराना लेनदेन शेष नहीं है। वगैरह रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाता है। प्रथमतः रिश्वत में राशी की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल का एवं निरीक्षक पुलिस का आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मन् अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रदान किए गए। तत्पश्चात मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल के स्वयं के कार्यालय कक्ष में पहुंचे परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल ने उपरोक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल से विस्तृत पुछताछ व दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाता जाने से रिश्वत राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री विक्रमसिंह हैड कानि. 36 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल का परस्पर परिचय करवाया गया तथा मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान करवाया गया। उपस्थित परिवादी ने बताया कि श्री मुकेश कुमार सुंदेशा एक-दो दिन बाद मेरे से रिश्वत बाबत् वार्ता करेगा। परिवादी को गोपनियता रखने की आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.06.2024 को दर्ज रहे कि कार्यालय हाजा में आगामी शनिवार व रविवार को राजपत्रित अवकाश होने व ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से मंगावाया जाकर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री विक्रमसिंह हैड कानि. 36 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी परिवादी श्री गेनाराम आपको गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सूचित करे तब मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखे। तत्पश्चात दिनाँक 24.06.2024 को श्री विक्रमसिंह हैड कानि. नं. 36 कार्यालय हाजा में उपस्थित था, ने डिजीटल वॉइस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार दिनांक 23.06.2024 को परिवादी द्वारा सूचना देने पर जालौर कल्ब के सामने एपेक्स हॉस्पिटल में पहूंचा, जहां परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल उपस्थित मिला । जिसे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया गया तथा मन् हैड कानि. वहीं आस-पास अपनी पहचान छिपाते हुए परिवादी के वापस आने के इंतजार में व्यस्त रहा। करीब 20-25 मिनट बाद परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल वापस आकर मन् हैड कानि. के पास पहूंचा जिस पर मन् हैड कानि. ने पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉइस रिकार्ड परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया कि रवाना होकर जालौर क्लब के पिछे माताजी के मंदिर के पास पहूंचा जहां आरोपी श्री मुकेश कुमार सुंदेशा उपस्थित मिला, जिसने मुझसे एक लाख रूपये मांगे व कहा कि मैं आपके बहुत सारे काम करवा दुंगा जिससे आपको कमाई हो जाऐगी एवं आपके खिलाफ समाचार में नहीं लिखुंगा, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना तथा रिश्वती राशी एक लाख रूपये की मांग पुष्टी होना पाई गई। डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अलमारी में सुरक्षित रखा, वार्तालाप की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात पूर्व में पाबंद शुदा परिवादी श्री गेनाराम उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो आरोपी श्री मुकेश कुमार तथा परिवादी श्री गेनाराम के मध्य वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई। पुछने पर परिवादी ने दिनांक 23.06.2024 को हुई वार्तालाप रिकॉर्डिंग की ताईद की। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000 रूपये अक्षरे एक लाख रुपये की व्यवस्था होने पर राशि लेकर उपस्थित आने तथा प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर तथा रुकस्त किया गया एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल ने उपस्थित होकर बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था 50,000 रूपये की ही हुई है। इस पर परिवादी को कल सुबह कार्यालय पर रिश्वत राशि लेकर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 689 दिनांक 25.06.2024 के संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जालौर को ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने हेतु तेहरीर कानि. गुलाब सिंह नं. 140 को सुपुर्द कर कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जालौर के लिए रवाना किया गया जो कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड जालौर के पत्रांक 275-77 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा प्रभुनाथ कनिष्ठ सहायक एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् जालौर के पत्रांक 1122-24 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा श्री विष्णु कुमार सहायक कृषि अधिकारी को दिनांक 26.06.2024 को सुबह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर पृथक पृथक तेहरीर लाकर पेश की। जो शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.06.2024 को मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय ब्यूरो जाब्ता के कार्यालय हाजा में उपस्थित हुं। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बाताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी 50,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ में लाया हुं एवं दोनों स्वतंत्र गवाहन उपस्थित है। मन् निरीक्षक पुलिस ने दोनों गवाहान से परिचय किया तो क्रमशः श्री प्रभुनाथ पुत्र श्री मांगुनाथ, उम्र 43 साल, जाति नाथ, निवासी खेड़ी का खेड़ा, पुलिस थाना बर, जिला ब्यावर, हाल कनष्ठि सहायक कार्यालय

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग जालौर मो.नं. [redacted] एवं श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री सवाराम, उम्र 51 साल, जाति संत, निवासी ए-27, अरिहन्त नगर जालौर, हाल कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जालौर, मो.नं. [redacted] होना बताया तथा दोनों गवाहन के उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल से दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 20.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया एवं दिनांक 23.06.2024 को परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार सुंदेशा के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड है को सुनाया गया जिस पर वार्तालाप के मुख्यांश सुनने के पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी से तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल हाल तहसीलदार जालोर जिला जालोर द्वारा आरोपी श्री मुकेश कुमार सुन्देशा पत्रकार मारवाड़ पत्रिका को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 100 नोट कुल 50,000/- रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनका विवरण मुताबिक फर्द पेशकशी के शामिल पत्रावली है। तत्पश्चात पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर कार्यालय हाजा के श्री सुखाराम हैड. कानि. नं. 96 मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना में से श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल की जामा तलाशी गवाह श्री प्रभूनाथ कनिष्ट सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु/दस्तावेजात एवं अन्य राशि नहीं रहने दी गई । परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल के पहने हुए पेंट की बांयी जेब में श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल को हिदायत दी गई कि रास्ते में उक्त राशि के हाथ नहीं लगायें तथा राशि नहीं छुऐ तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार सुन्देशा पत्रकार मारवाड़ पत्रिका के मांगने पर ही उक्त राशि अपनी जेब से निकालकर उसे देवें तथा राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे । अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री मुकेश कुमार सुन्देशा पत्रकार मारवाड़ पत्रिका द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री मुकेश कुमार सुन्देशा पत्रकार मारवाड़ पत्रिका द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने अपने कार्यालय की टेबल घण्टी को दो-तीन बार बजावें या मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस के मोबाईल [redacted] पर कॉल या मिस-कॉल कर या ट्रेप-दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में दृष्टांत दिया जाकर सभी को भली भांति समझाया गया । विशेष विवरण फर्द पेशकशी में अंकित है। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनो हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग मे ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई । मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखे । गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें । रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 को कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु मामूर किया जाकर आवश्यक हिदायत कर मन् अरविन्द कुमार निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल, स्वतंत्र गवाहन श्री प्रभुराम एवं श्री विष्णु कुमार एवं ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री रविन्द्र कुमार सउनि, सुखाराम हैड कानि. 96, विक्रसिंह हैड कानि. 36, गुलाब सिंह कानि. नं. 140, कालूराम कानि. 477, आंदुराम कानि. 142 व मोटा राम कानि. 295 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 युई 0818 व चालक श्री भरत सिंह चालक कानि. 501 तथा निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि. ब्यूरो जालौर से तहसीलदार कार्यालय जालौर की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय हमराहियान ट्रेप दल एवं जाब्ता मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के जरिये सरकारी वाहन व चालक तथा निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय जालौर पहुंचे। जहां परिवादी श्री गेनाराम को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड ऑन कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय के चैम्बर की और रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता को मामूर कर अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार सुंदेशा के मध्य होने वाले रिश्वती राशी के लेन देन को देखने तथा होने वाली वर्तालाप को सुनने का प्रयास करने तथा आरोपी पर निगरानी रखने की हिदायत दी एवं परिवादी के पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने में व्यस्त रहे। तत्पश्चात हमरायान मौतबिरान के रूबरू

परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल ने पूर्व निर्धारित अपने कार्यालय की टेबल घंटी बजा कर गोपनीय इशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर तहसीलदार चैम्बर के अन्दर पहूंचे। पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉइस रिकार्डर परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल से प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल ने अपने पास बैठे आरोपी श्री मुकेश कुमार की तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री मुकेश कुमार है, जिन्होने मेरे से अभी-अभी मांग कर 50,000 रुपये प्राप्त कर अपनी पेंट की बांयी जेब में रखे है। जिस पर मन् अरविन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर नें अपना परिचय देते हुए तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप-दल के सदस्यों का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री मुकेश सुंदेशा पुत्र श्री नाथुराम राम माली, जाति माली, उम्र 42 साल, निवासी राजेन्द्र नगर जालौर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा के पहनी हुइ पेंट की बांयी जेब में रखे नोटों को गवाह श्री विष्णु कुमार से लिरवाये जाकर नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रुपये के 100 नोट कुल 50,000 रुपये होना पाया गया व फर्द पेशकशी से उपरोक्त नोटों के नम्बरों का मिलान किया गया तो नोटों के नम्बर सही पाए गए। गवाह को हिदायत दी गई कि उक्त नोट सील चिट होने तक संभालकर रखें। इसी दौरान अति. पुलिस अधीक्षक डॉ महावीर सिंह राणावत एसीबी जालौर भी मौके पर उपस्थित आए व उनके निर्देशानुसार अग्रीम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात उक्त घटना स्थल तहसील/ कलेक्ट्रेट परिसर में होने तथा लोगों का आवागमन अधिक होने की वजह से हाथ धोवन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टी से हाथ धोवन की कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली जालौर जाने का निर्णय लेकर मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल एवं ट्रेप दल के सदस्यगण के आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा का दाहिना हाथ श्री कालूराम कानि. नं. 477 तथा बांया हाथ श्री गुलाब सिंह कानि. 140 से कलाईयों के उपर से पकड़वाये जाकर यथा-स्थिति में ट्रेप दल के निजी वाहन में बैठाया जाकर रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जालौर के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात मन् नि.पु. अरविन्द कुमार मय मय हमराहियान परिवादी, ट्रेप दल, एवं जब्ता मय आरोपी मुकेश सुंदेशा के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस थाना कोतवाली जालौर पहूंचे। पुलिस थाना कोतवाली,जालोर के संतरी को अपना और हमरायान का परिचय देकर निर्देशित किया जाकर पुलिस थाना का थानाधिकारी कक्ष खुलवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान बमय आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा के खोले गये कक्ष में प्रवेश हुए तथा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा से परिवादी को पहचानने बाबत् पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि यह श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार जालोर है । मै पत्रकार होने से इनके तहसील कार्यालय मे इनके पास आता रहता हूँ । इस वजह से इनको मै पहचानता हूं । परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार से आज इनके कार्यालय कक्ष मे बैठे हुए 50,000 रूपये लेने बाबत् पुछा गया तो आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा ने बताया कि श्री गेनाराम मेघवाल जालोर के तहसीलदार होने से इनसे मिलकर तहसीलदार साहब से अवैध कार्य करवाने की एवज मे आज 50,000/- रुपये श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार साहब से इनके कार्यालय कक्ष मे लिए है, उक्त राशी मैने मेरे पहने हुए पेन्ट की बांयी जेब मे रखे ही थे की आप लोग आ गए, साहब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो । मैंने ये 50,000/- रुपये श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार साहब से स्वयं के लिए ही लिए है । उपस्थित परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार ने आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा पत्रकार के उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि श्री मुकेश सुन्देशा मारवाड़ पत्रिका का पत्रकार है तथा सोशल मिडिया पर कार्य करता है तथा इसी पत्रकार नाम का फायदा उठाकर दलाली करता है एवं समाचार मे लिखने के नाम पर वसूली करता है । यह मेरे पद का दुरुपयोग करवाकर रुपये ऐंठना चाहता है और कहता है कि ईमानदारी मे कुछ नहीं रखा है आज पद पर हो कल कोई नहीं पुछेगा मै आपके महिने की 8-10 लाख रुपये की बन्धी ईंट भट्टे वालों व बजरी वालों से दिलवा दूंगा उस मेसे मुझे 25 प्रतिशत या आपके हिसाब से दे देना तथा एक लाख रुपये मुझे दे दो जिस पर मैने एसीबी मै शिकायत की एवं आज श्री मुकेश सुन्देशा मेरे से रुपये लेने मेरे कार्यालय मे आया और मेरे से 50,000/- रुपये लेकर अपने पहने हुए पेन्ट की बांयी जेब मे रखे, तब मैंने मेरे कार्यालय कक्ष की घण्टी को दो-तीन बार बजाकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। प्रक्रिया अनुसार हाथ-धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पुलिस थाना कोतवाली,जालोर में प्लास्टीक के बड़े डिस्पोजल तीन गिलास मंगवाई जाकर उक्त तीनों गिलासों में पुलिस थाना कोतवाली, जालोर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त तीनों गिलासों मे पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त तीनों गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात प्लास्टिक एक डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा पत्रकार के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया जिसे उपस्थितगण ने मटमेला होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 अंकित किया गया । तत्पश्चात प्लास्टिक की दूसरी डिसपोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का

गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा के पहने हुए पेन्ट की बांयी जेब जिस मेसे रिश्वती राशि 50,000/- रुपये बरामद हुए का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पुलिस थाना कोतवाली, जालोर से एक लोअर मंगवाया जाकर आरोपी श्री मुकेश कुमार सुन्देशा के पहने हुए पेन्ट को उतरवाया जाकर लोअर पहनाकर जिस पेन्ट से रिश्ववती राशि बरामद की गई उस पेन्ट की बांयी जेब को उल्टा कर तीसरे प्लास्टिक डिस्पोजल गलास के रंगहीन घोल मे डूबोकर धोया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी-3 अंकित किया गया। उपयोग में लिए गए तीनों प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किए गए। तत्पश्चात रिश्वती राशि सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु कुमार को पूर्व में सुपुर्द करवाई गई थी, उक्त रिश्वती राशि को पुनः गिनवाया जाकर पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री प्रभूनाथ को सुपुर्द कर बरामदा रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये (अक्षरे पच्चास हजार रुपये) के नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो पूर्व मे तैयार शुदा फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहू मिलान होना पाया गया। उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 50,000 रूपये (अक्षरे पच्चास हजार रुपये) माफिक फर्द पेशकशी के, को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाया जाकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री प्रभूनाथ से लिवाई गई तो आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा के पास से एक वीवो कम्पनी का V21 5G पुराना इस्तेमाली मोबाईल पाया गया जिसमे एक सीम एयरटेल कम्पनी की नम्बर होना पाया गया। उक्त मोबाईल आरोपी श्री मुकेश सुन्देशा को पुन सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किए गए डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर के सुना गया तो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ की जाकर वक्त 02.30 पीएम पर सम्पन्न हुई। दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। उपरोक्त कायर्वाही की फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं हमराहियान, आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा व ट्रेप बॉक्स व आवश्यक अनुसंधान सामग्री के जरिये सरकारी एवं निजी वाहन से घटनास्थल निरीक्षण हेतु तहसील कार्यालय जालौर को रवाना हुए। तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं हमराहियान, आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा व ट्रेप बॉक्स व आवश्यक अनुसंधान सामग्री के तहसील कार्यालय जालौर पहुंच परिवादी श्री गेनाराम की निशां देही एवं स्वतंत्र गवाहन के रूबरू घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एवं हालात मौका घटनास्थल मुर्तिब की जाकर संबंधितगण से हस्ताक्षर करवा कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी एवं हमराहियान, आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा व ट्रेप बॉक्स व आवश्यक अनुसंधान सामग्री के एसीबी चौकी जालौर को रवाना को रवाना हुआ। तत्पश्चात उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार मय परिवादी, गवहान व ब्यूरो जाब्ता व दस्तायाब शुदा आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा मय धोवन प्रक्रिया के सैम्पल प्रादर्श मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 व एल.एच.1 व एल.एच.2 एवं पी-1 पी-2, पी-3 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी पचास हजार रूपये कपड़े की थैली में सील्ड मोहर शुदा मार्क M एवं प्रकरण हाजा की पत्रावली मय मुर्तिबा फर्दात् तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड, लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के एसीबी चौक जालौर पहुंच कर समस्त बरामदा प्रादर्श मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय हाजा में रखी अलमारी में सुरक्षार्थ रखवाए जाकर आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा को श्री रविन्द्र कुमार सउनि व श्री कालूराम कानि. 477 की निगरानी में बैठाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री गेनाराम व आरोपी मुकेश सुंदेशा के मध्य दिनांक 23.06.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को श्री आदुराम कानि. 142 के सहयोग से कार्यालय के कम्यूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त वार्तालाप को कम्यूटर के माध्यम से दो पेन-ड्राईव में अपलोड करवाई जाकर दो क्लोन (डब) पेन ड्राईव तैयार कर खुली हालात में रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री गेनाराम व आरोपी मुकेश सुंदेशा के मध्य दिनांक 26.06.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को श्री आदुराम कानि. 142 के सहयोग से कार्यालय के कम्यूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त वार्तालाप को कम्यूटर के माध्यम से दो पेन-ड्राईव में अपलोड करवाई जाकर दो क्लोन (डब) पेन ड्राईव तैयार कर

खुली हालात में रखा गया। तत्पश्चात रूबरू स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी श्री गेनाराम की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड को कागज के लिफाफे में डाल कर लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डाल कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली को सील मोहर कर मार्क- D अंकित किया जाकर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाऐ जाकर फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात रूबरू स्वतंत्र गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा 384, 385 भादस से नियमानुसार संवैधानिक अधिकारों एवं धारा 41 सीआरपीसी के प्रावधानों से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा की जामा तलाशी गवाह श्री प्रभुनाथ कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो एक मोबाईल, आधार कार्ड व पेनकार्ड इत्यादी मिले, इसके अलावा पहने हुए पारचात के उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाये गये एवं न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी के मोबाईल का अवलोकन किया गया तो उसमें कोई विशेष संदिग्ध वार्ता या चैट नहीं पाई गई। आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके चचेरे भाई श्री रमेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर दी गई इसी दौरान आरोपी का चचेरा भाई रमेश कुमार उपस्थित चौकी आया जिस पर आरोपी का आधार कार्ड, पेनकार्ड व मोबाईल की प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं होने से आरोपी के कहे अनुसार उसके चचेरे भाई श्री रमेश कुमार को सुपुर्द किये गए। तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार सउनि मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाने हेतु पृथक-पृथक तहरीर देकर जरीये वाहन सरकारी बोलेरो मय चालक श्री भरत सिंह चालक कानि. 501 के रवाना किया गया था जो आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ताबाद पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवा कर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना कोतवाली जालौर से भ्र.नि. ब्यूरो जालोर उपस्थित आए। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का मुकिम एसीबी चौकी हाजा ही रहा। तत्पश्चात दिनांक 27.06.2024 को श्री रविन्द्र कुमार सउनि मय श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक भरतसिंह के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा को पुलिस थाना कोतवाली से लेने हेतु थाना को रवाना किया जो आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर लेकर भ्र. नि. ब्यूरो जालोर हाजिर आये। तत्पश्चात पूर्व में पाबंद शुदा श्री पुखसिंह भाटी, आफिस कानूनगो, तहसीलदार कार्यालय जालौर चौकी हाजा उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस अरविन्द कुमार द्वारा अपना परिचय दिया जाकर श्री पुखसिंह भाटी का परिचय प्राप्त कर उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया जाकर रूबरू स्वतंत्र गवाहन के उक्त ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध मुकेश सुंदेशा में दिनांक 23 व 26.06.2024 को परिवादी श्री गेनाराम व आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा के मध्य हुई रिश्वत की राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी उक्त वार्ताओं के मुख्य मुख्य अंश पूर्व में तैयार किये गये पैन ड्राईव को कार्यालय के लेपटॉप में डालकर चलाया जाकर सुनाये गये। तो आवाज पहचानकर्ता ने सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त वार्ताओं में रिकार्ड वार्तालापों में एक आवाज श्री मुकेश सुंदेशा की है तथा दुसरी आवाज श्री गेनाराम तहसीलदार साहब की है। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर संबंधितगण को पढ़कर सुनाई गई, जिसे सुन समझ सही होना मान संबंधितगण ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डब पैन ड्राईवज पुन अलमारी में रखी जाकर लॉक लगा कर चाबी स्वयं के पास रखी। क्योंकि इस ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध मुकेश सुंदेशा में अब परिवादी श्री गेनाराम तहसीलदार, तथा गवाह श्री विष्णु कुमार तथा प्रभुनाथ एवं श्री पुखसिंह भाटी की आवश्यकता नहीं होने से रूकसत किया जाता है। तत्पश्चात मन् अरविन्द कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रकरण हाजा में फर्दात् के मुताबिक मालखाना आईटम क्रमश आरापी श्री मुकेश सुंदेशा के दोनों हाथों की अंगुलियों व अगुंठे का धोवन मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.- 2 तथा एल.एच-1, एल.एच.-2 शील्ड शुदा, अरोपी के पेंट की बांयी जेब का धोवन मार्क पी-1 तथा पी-2 तथा पेंट मार्क पी-3 सील्ड शुदा तथा बरामदा रिश्वती राशी 50,000 रूपये एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर मार्क- M तथा रिश्वती राशी मांग सत्यापन वार्तालाप व रिश्वती राशी लेन-देन वार्तालाप की मूल मैमोरी कार्ड सील्ड मोहर मार्क- D एवं चार क्लोन (डब) पैन ड्राईव खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. 96 को दुरुस्त हालात सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की संपूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार जालोर से आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा निजि पत्रकार, मारवाड़ पत्रिका नाम से सोशल मिडीया पर कार्य करता है, पत्रकार का फायदा उठाकर समाचार में नाम लिखने के नाम से अवैध वसूली व दलाली भी करता है, जो सरकारी अधिकारियों के नाम से लोगों को डराकर पैसे एंठता है। दिनांक 11.06.24 को समय तहसीलदार जालौर कार्यालय में परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार को कहा कि मैं आपके महिने की 8-10 लाख की बंधी सेट करवा सकता हूँ, अगर आप मेरे कहे अनुसार काम करो। मुझे इसमें 25 प्रतिशत या जो आपका मन हो दे देना। तब तहसीलदार ने अवैध काम करने से मना कर दिया। जिस पर आरोपी ने एक लाख रूपये की मांग की तथा अपने हिसाब में से सेट कर लेने व तहसीलदार के विरूद्ध मिडीया में नहीं लिखने व नरेगा, बजरी वाले, ईंट भट्टे वाले इत्यादी से 8-10 दिन में

ही बंधी दिलवाने का कहकर उसी वक्त एक लाख रूपये देने को कहा, जिस पर दिनांक 23.06.2024 को रिश्वत राशि का गोपनीय सत्यापन करवाया तो आरोपी ने परिवादी से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होने पर दिनांक 26.06.2024 को स्वतंत्र गवाहन के रूबरू ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी श्री गेनाराम मेघवाल तहसीलदार से 50,000 रूपये कर रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा निजी पत्रकार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा का उपरोक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) तथा धारा 384, 385 भारतीय दण्ड संहिता का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री मुकेश सुंदेशा पुत्र श्री नाथुराम राम माली, जाति माली, उम्र 42 साल, निवासी राजेन्द्र नगर जालौर, हाल निजी पत्रकार, मारवाड़ पत्रिका जालौर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) तथा धारा 384, 385 भारतीय दण्ड संहिता में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (अरविन्द कुमार) निरीक्षक पुलिस, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर ....कार्यवाही पुलिस................. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अरविन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अंतर्गत जुर्म धारा 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा धारा 384, 385 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपी श्री मुकेश सुंदेशा पुत्र श्री नाथुराम राम माली, उम्र 42 साल, निजी पत्रकार, मारवाड़ पत्रिका, निवासी राजेन्द्र नगर जालौर, जिला जालौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी पदमपाल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 453 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक. प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर क्रमांक 649-51 दिनांक 27.06.2024 प्रतिलिपिःसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PADAMPAL SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/06/2024 19:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)